टी.एन.विद्युत बोर्ड और ए.एन.आर.

बनाम

टी.एन.इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड धोलिया आयक्किया

दीवानी अपील नं. 1279/2008

14 फरवरी,2008

(ए.के.माथुर एवं आफताब आलम, न्यायाधीशगण)

तमिलनाडु विद्युत मण्डल सेवा विनियम, 1967

टिप्पणी-3 एन.टी.सी. या एन.ए.सी. प्रमाण पत्र सहायक के पद हेतु होने के मापदंड निर्धारित करना। आगे यह निर्धारित करना कि "एन.टी.सी./एन.ए.सी. रखने वाले उम्मीदवार जो सहायक के रूप में नियुक्त किये गये हों वे जूनियर सहायक और टाइपिस्ट के पद के लिए आंतरिक चयन के लिए पात्र नहीं होगें-अभिनिर्धारित-टी.एन.विद्युत मण्डल ने तर्कसंगत आधार पर निर्णय लेकर यह व्यवस्था की है कि सहायक अर्थात् एन.टी.सी./एन.ए.सी. के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता, और एेसे व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की एक प्रणाली प्रदान करना जिससे तकनीकी तौर पर उच्च पद के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सके। इस तरह के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 19(1)(जी) की अधिकारिता

से बाहर नहीं कहा जा सकता है। यह मण्डल का एक नीतिगत निर्णय है और यह मण्डल ही है जिसे पदोन्नति की उपयुक्तता और प्रणाली उक्त पद के लिए तय करना है। यह मण्डल का विशेषाधिकार होगा कि वह तकनीकी एवं गैर-तकनीकी व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की प्रणाली निर्णित करे -भारत का संविधान - अनुच्छेद 14,16 और 19(1)(छ) - प्रशासनिक विधि - प्रशासनिक प्राधिकरण के नीतिगत निर्णय।

पी.यू.जोशी और अन्य बनाम महालेखाकार अहमदाबाद और अन्य **2003(2) SCC 632** - आधार माना

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1279/2008

(मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20/4/2006 रिट अपील नं. 1692/99 के खिलाफ)

अपीलार्थी की ओर से - पी.एच.पारेख, ई.आर.कुमार, शकुन शर्मा, अर्जुन गर्ग (मेसर्स पारेख एंड कंपनी)

उत्तरार्थी की ओर से - वी.शेखर, गुलनार, जी.उमापति, रोहित सिंह और राकेश के.शर्मा

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अनुमति दी गयी।

यह अपील विशेष अनुमति द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अप्रेल 2006 के खिलाफ की गई है जिसमें खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी-3 तमिलनाडु विद्युत बोर्ड सेवा विनिमय 1967 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) को रद्द कर दिया गया है एवं यह निर्देशित किया कि वे सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति सहायक के तौर पर हुई थी उन्हें कनिष्ट सहायक एवं अन्य प्रशासनिक पदों के लिए विचार किया जा सकता है।

खण्डपीठ द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

इस अपील के निपटारे के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है:-

याचिका नं. 3314/1993 तमिलनाडु विद्युत बोर्ड तोझीलालार अयक्कियां संगम द्वारा पेश की गई थी जिसका प्रतिनिधित्व इसके महासचिव कर रहे हैं और उन्होंने यह प्रार्थना की है कि विनियम के टिप्पणी 3 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाये।

संगम की शिकायत यह थी कि उम्मीदवारों का वर्गीकण, जिनके पास आई.टी.आई. प्रमाण पत्र है और जिनके पास राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण

पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र (एन.टी.सी./एन.ए.सी.) और जिनकी नियुक्ति सहायक के तौर पर नियमित कार्य प्रतिष्ठान (आर.ई.डब्ल्यू.) वे एक अलग वर्ग है,यह धारणा किसी भी बोधगम्य अंतर, जिसका उसके साथ युक्तियुक्त संबंध कनिष्ठ सहायक/मूल्यांकनकर्ता के चयन के उद्घेश्य से हो। यह भी उनकी शिकायत है कि उपर्युक्त टिप्पणी 3 को देखते हुये, उनके संघ के सदस्यों को कनिष्ठ सहायक के पद पर आवेदन करने से वंचित कर दिया जाता है एवं अन्य समान पदों के अभ्यर्थीगण जिनके पास उनसे कम योग्यता है।

विद्युत मण्डल द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि नियमित कार्य प्रतिष्ठान में सहायकों के कार्य की प्रकृति एवं पदोन्नति की प्रणाली कनिष्ठ सहायक/ टाइपिस्ट/मूल्यांकनकर्ताओं से पूरी तरह से भिन्न है। उनके अनुसार, सहायकों का उपयोग तकनीकी प्रकृति के मौके पर किये जाने वाले कार्य के लिए किया जाता है एवं उनके पदोन्नति की प्रणाली में वायरमैन, लाइनमैन, फोरमैन और जूनियर इंजीनियर आते हैं जबकि कनिष्ठ सहायकों को कार्यालय में लिपिकीय कार्य करने के लिए प्रशासनिक एवं लेखा संवर्ग और उनकी पदोन्नति की प्रणाली में सहायक, प्रशासनिक/लेखा पर्यवेक्षक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी हैं।

इसलिए, इन सहायकों के पदोन्नति की प्रणाली तकनीकी पक्ष में थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह मण्डल द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था जो कार्यालय के आदेश दिनांक 23.5.1986 द्वारा सरकार की अनुशंसा पर लिया गया था। आगे से सहायक का पद अर्थात् फिटर, टर्नर, मशीनीष्ट आदि की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिनके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षण और व्यवसायिक व्यापार परिषद द्वारा जारी एन.टी.सी. या एन.ए.सी.प्रमाण पत्र हो। मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार टी.एन.सेवा विनियमों में संशोधन किया गया और उन विनियमों में टिप्पणी 3 जोड़ा गया। इसलिए टिप्पणी 3 को शामिल करने के बाद सहायक के पद के चयन के लिए यह मापदण्ड रखा गया कि अभ्यर्थी के पास "एन.टी.सी./एन.ए.सी." प्रमाण पत्र होना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण और व्यवसायिक व्यापार परिषद द्वारा जारी हो एवं यह भी स्पष्ट रूप से मण्डल के प्रस्ताव दिनांक 23 मई 1986 द्वारा निर्धारित किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो "एन.टी.सी./एन.ए.सी." धारी हों और सहायक के तौर पर नियुक्त हों वे कनिष्ट सहायक एवं टंकक जिसमें आशुलिपिक सम्मिलित है इसके आंतरिक चयन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगें। मण्डल का यह प्रस्ताव को विनियमों में इन्हीं आधारों पर सम्मिलित किया गया था। टिप्पणी-3 इस प्रकार है :-

"राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी जो सहायक के रूप में नियुक्त थे वे कनिष्ठ

सहायक और टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट सहित आंतरिक चयन के लिए पात्र नहीं होगें।"

अतः यह मण्डल द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है कि आगे से एन.टी.सी./एन.ए.सी. योग्यता रखने वाले व्यक्ति जिनकी नियुक्ति सहायक के रूप में की गई थी उनकी पदोन्नति की प्रणाली तकनीकी पदों पर ही होगी और प्रशासनिक पदो पर नहीं। यह सत्य है सन् 1986 से पूर्व, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति सहायक के तौर पर की गई थी उन्हें ही कनिष्ट सहायक और तकनिशियन भी कार्यालय में नियुक्त किया गया था। मण्डल द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् केवल उन्हीं लोगों को सहायक नियुक्त किया गया था जिनके पास एन.टी.सी./एन.ए.सी. प्रमाण पत्र थे। अब मण्डल द्वारा इन व्यक्तियों के पदोन्नति के दिशा निर्धारण किया गया है और उन्हें तकनीकी पदों के लिए वर्गीकृत किया है और न कि प्रशासनिक पदों के लिए।

यह मण्डल द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है और इसे सेवा विनियमन में सम्मिलित किया गया है। अतः उम्मीदवारों की भर्ती सहायक के पद पर की गई थी जिनके पास वह योग्यता थी, और उनकी पदोन्नति की प्रणाली केवल तकनीकी पदों तक थी और इस बारे में कोई भी संशय नहीं हो सकता। यह मण्डल का स्पष्ट नीतिगत निर्णय था अतः इन व्यक्तियों की पदोन्नति की प्रणाली अब केवल तकनीकी पदों पर ही होगी

न कि प्रशासनिक पदों पर। अतः यह प्रावधान जिसे कि सेवा की शर्तों में सम्मिलित किया गया है उसे किसी भी प्रकार से भेदभावपूर्ण, मनमाना या अनुच्छेद 19(1)(जी) के उल्लंघन में नहीं माना जा सकता। यह मण्डल का एक नीतिगत निर्णय है और यह मण्डल ही है जिसे यह निर्धारित करना है कि कौन पद के लिए उचित होगा और उस पद पर पदोन्नति की प्रणाली क्या होगी। उन अभ्यर्थियों के द्वारा, जो सहायक के तौर पर सेवा कर रहे हैं यह आग्रह करना सही नहीं है कि मण्डल द्वारा विनियमों को उनके हितों के अनुसार संशोधित करे। यह मण्डल का विशेषाधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि तकनीकी और गैरतकनीकी व्यक्तियों के पदोन्नति की प्रणाली क्या होगी। इस प्रकरण में मण्डल द्वारा तर्कसंगत आधार पर यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी व्यक्तियों की पदोन्नति की प्रणाली तकनीकी पक्ष पर होगा न कि प्रशासनिक पक्ष पर।

इस संबंध में हमारा ध्यान पी.यू.जोशी और अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद और अन्य 2003(2) SCC 632 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "राज्य के किसी भी कर्मचारी को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उसकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम सभी उद्घेश्यों के लिए, हमेशा एक जैसे ही होगें जैसे उसके सेवा में प्रवेश करने के समय थे और अपवाद यह है कि किसी विशेष समय पर पहले से अर्जित या अर्जित अधिकारों या लाभों को सुनिश्चित करने या

उनकी रक्षा करने के अलावा, एक सरकारी कर्मचारी को राज्य द्वारा मौजूदा सेवा के सन्दर्भ में नये नियम बनाये जाने, संशोधन, परिवर्तन और उन्हें लागू किये जाने की अधिकारिता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।"

अतः इस परिप्रेक्ष्य में जब मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता अर्थात् एन.टी.सी./एन.ए.सी. और ऐसे व्यक्तियों के पदोन्नति की प्रणाली ऊचें पदों पर, तकनीकी पक्ष पर किया जाए तो एेसे प्रावधान को अनुच्छेद 14,16 और 19(1)(जी) के अधिकारिता से बाहर नहीं कहा जा सकता है।

नतीजतन, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं एवं विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश काे अपास्त करते हैं।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार की गई

आर.पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरूण कुमार बेरीवाल, आर.जे.एस. अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।